राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(11)न्याय/2016 जयपुर, दिनांक 19 MAR 2019

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित न्यायालयों का नाम परिवर्तित कर कॉलम संख्या 3 के अनुसार निर्धारित करती है:-

क.सं.	न्यायालय का विद्यमान नाम	न्यायालय का परिवर्तित नाम
1	अपर सिविल न्यायाधीश एवं अपर महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 36, जयपुर महानगर	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 36, जयपुर महानगर
2	अपर सिविल न्यायाधीश एवं अपर महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 37, जयपुर महानगर	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 37, जयपुर महानगर

राज्यपाल के आदेश से,
25/3/19
(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, पुलिस कमिश्नर, जयपुर महानगर।
9. जिला कलक्टर, जयपुर।
   महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र में विशेषांक के प्रकाशनार्थ (सी.डी सहित)।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

29.3.19
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(11)न्याय/2016 जयपुर, दिनांक 29 MAR 2019

::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित न्यायालयों का नाम परिवर्तित कर कॉलम संख्या 3 के अनुसार निर्धारित करती हैः-

क्र.सं.	न्यायालय का विद्यमान नाम	न्यायालय का परिवर्तित नाम
1	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1, बाडमेर	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1, बाडमेर
2	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, बाडमेर	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, बाडमेर
3	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ (श्रीगंगानगर)	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ (श्रीगंगानगर)
4	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीम का थाना (सीकर)	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीम का थाना (सीकर)

राज्यपाल के आदेश से,

25/3/19

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर/ सीकर/ बाडमेर।
9. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बालोतरा/श्रीगंगानगर/सीकर।
10. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र में विशेषांक के प्रकाशनार्थ (सी.डी सहित्)।
14. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव